राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2011

जयपुर, दिनांक : 29 APR 2011

परिपत्र

विषयः— रिक्त पदों पर सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार नियमित भर्ती करने तथा भविष्य में संविदा नियुक्तियाँ नहीं करने के संबंध में।

लोक हित में तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य कार्य निष्पादन के लिए विगत कुछ वर्षों में निश्चित समय अवधि के लिये संविदा नियुक्तियाँ की जाती रही हैं। राज्य सरकार के अनुभव में यह आया है कि अल्प अवधि के लिए की जाने वाली नियुक्तियों के लिए कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं और इन संविदा नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्य निष्पादन हेतु प्रशिक्षित करने में भी अत्यधिक श्रम एवं समय लग जाता है, जो कि राज्य हित में नहीं है। संविदा कार्मिकों की सेवाएं निरन्तर रखने पर ऐसे कार्मिकों द्वारा राज्य सेवा में नियमित नियुक्ति हेतु मांग भी उठायी जाती रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में संबंधित सेवा नियमों से भिन्न तदर्थ/अस्थाई/संविदा पर राज्य सेवाओं में की गई नियुक्तियों को संविधान में प्रदत्त समान अवसर के प्रावधान के अनुरूप नहीं माना गया है। संबंधित सेवाओं के भर्ती नियमों के प्रावधान एवं उच्चतम न्यायालय के इस संबंध में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे नियुक्त कार्मिकों को राज्य सेवा में नियमित किया जाना संभव नहीं है।

अतः राज्य सरकार ने संविदा नियुक्ति के संबंध में समय समय पर परिपत्र/आदेश संख्या प.1(5)वित्त/नियम/02 दिनांक 13.01.2003, 12.05.2003, 30.11.2006, 09.01.2007, 22.10.2007, 06.11.2007 एवं 19.06.2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाने का निर्णय लिया है।

भविष्य में नियमित रूप से सृजित पद, जो संबंधित सेवा नियमों की अनुसूची में सम्मिलित हैं, पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाकर भर्ती नियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार ही भर्ती की जावे।

वर्तमान में नियुक्त संविदा कर्मियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी समय समय पर समीक्षा करेंगे। ऐसे पदों पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी, संविदा अवधि समाप्त होने से पूर्व ही यथासंभव नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमित चयनित व्यक्ति नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सके।

समस्त प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा है कि उक्त दिशा निर्देशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करेंगे।

(सी.के. मैथ्यू)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

D:\Data\order-Rules.doc

(PTO)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18 / एम / (अनुबंध) / 2011 / 1511 दिनांक 19-4-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. परियोजना निदेशक (आर.एच.एस.डी.पी. / एन.आर.एच.एम.)।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) / एड्स कंट्रोल सोसायटी / (प.क.) मुख्यालय।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन–(राजस्थान)।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण, (राजस्थान)
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारीगण (राजस्थान)।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

अति0 निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान, जपुर